५.१.१८ प्रा०पत्र मूल वाद के संलग्न पेशी में लिया गया।

वकील वादी / उभयपक्ष उप०। वकील वादी ने प्रा० पत्र पेश कर वाद को विद्रा / नॉट प्रेस में खारिज किए जाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार नं. से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।